**संशोधन**

**संख्या- 401 /2024/ 3686 /चार-2024-1874603**

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 10 दिसम्बर, 2024

विषय- जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद् तथा थियेटर एंड फिल्म वेलफेयर एसोशिएशन लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में महाकुम्भ-2025, एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं आजादी का अमृत काल के अन्तर्गत प्रथम चरण में प्रदेश के लखनऊ, गोण्डा एवं शाहजहांपुर जनपदों में कार्यक्रम कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश संख्या- 396 /2024/ 3619 /चार-2024 दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 396 /2024/ 3619 /चार-2024 दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में उक्त शासनादेश संख्या- 396 /2024/3619/चार-2024 दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 के प्रस्तर-2 (9) में अंकित '**थियेटर एंड फिल्म वेलफेयर एसोशिएशन लखनऊ द्वारा प्रति जनपद रू0 1.00 लाख की धनराशि जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद् को उपलब्ध करायी जायेगी**' के स्थान पर '**थियेटर एंड फिल्म वेलफेयर एसोशिएशन लखनऊ द्वारा प्रति जनपद रू0 0.50 लाख की धनराशि का सहयोग किया जायेगा।**' पढ़ा जाय।

3- उक्त शासनादेश संख्या- 396 /2024/ 3619 /चार-2024 दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी/ जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद, लखनऊ/ शाहजहांपुर/ गोण्डा।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8. संयोजक/ आयोजक, थियेटर एंड फिल्म वेलफेयर एसोशिएशन लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in